Tel. No. Office: 0612-2452585
Fax. No.: 0612-2452586
Email-Id-: dgbipard@yahoo.in

बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान

वाल्मी परिसर, फुलवारी शरीफ, पटना – ८०१५०५

Bihar Institute of Public Administration & Rural Development

Walmi Campus, Phulwari Sharif, Patna - 801505

पत्रांकःबिपार्ड/सीडीटी–04/2009/(पार्ट–02) 1785 दिनांकः 28.12.12

प्रेषक

डॉ. ई.एल.एस.एन. बाला प्रसाद
महानिदेशक

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी
बिहार सरकार।

/पटना, दिनांक :

विषयः Government Accounts & Financial Procedures विषय पर जिला में मास्टर प्रशिक्षकों के चयन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है दिनांकः17.12.2012 से जिला स्तर पर TOT प्रशिक्षण प्रारंभ किया जा चूका है। जिलों से चयनित मास्टर प्रशिक्षकों की सूची प्राप्त हुई है। कुछ जिलों से प्राप्त सूची के अवलोकन से स्पष्ट नहीं होता है कि इनके चयन पर वॉछित ध्यान देते हुए सभी बिन्दुओं पर समीक्षा हुआ है अथवा नहीं।

अतः पूर्व में दिए गए मार्गदर्शन के आलोक में निम्न बिन्दुओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

1. कई जिला में मास्टर प्रशिक्षक के लिए नाजीर एवं लेखापाल का चयन किया है। विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या इन्हें अगले चरण में प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए इनके कार्यालय प्रधान अनुमति देगें। इन कर्मचारियों को कुछ सप्ताह के लिए मास्टर प्रशिक्षक के रूप में चयनित होने के कारण कार्यालय कार्य से मुक्त रखना पड़ेगा। मास्टर प्रशिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें प्रतिभागियों से अधिक Knowledge एवं Skill हो जिससे उनकी बातों को प्रशिक्षुगण अधिक महत्व दें। अतः उपयुक्त पदाधिकारी एवं कर्मचारी का चयन करना श्रेयष्कर होगा, जो इस कार्य में समय दे सके।

2. मास्टर प्रशिक्षक के लिए ICDS, वाणिज्यकर, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि विभागों को प्राथमिकता दी जाय। चूँकि इन विभागों से अधिक प्रशिक्षु की अपेक्षा है।

3. प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध कराए गए प्रत्येक समूह के लिए दो सप्ताह का कार्यक्रम एवं प्रशिक्षण तिथि को यथा संभव पालन किया जाय। विशेष

परिस्थिति में अपनी सुविधा अनुसार तिथि में परिवर्त्तन जिला पदाधिकारी कर सकते है।

4. प्रत्येक मास्टर प्रशिक्षक को प्रशिक्षण उपरांत 05 अध्याय का विशेषज्ञ बनाया जाय। प्रशिक्षण हेतु कुल 22 अध्याय तैयार किए गए हैं। इस प्रकार औसतन एक अध्याय के चार मास्टर प्रशिक्षक तैयार हो जायेगें। Specialize करने से उन्हें उस अध्याय का अच्छा ज्ञान हो जायेगा, जिससे वे प्रतिभागियों को अच्छे तरीके से बता सकतें है। दो सप्ताह के प्रशिक्षण में एक अध्याय अधिकतम चार धंटा का है। अतः ऐसी स्थिति में एक मास्टर प्रशिक्षक को अधिकतम सप्ताह में चार धंटे प्रशिक्षण में देने पड़ेगें। इससे उनके कार्यालय का कार्य बाधित नहीं होगा।

5. प्रशिक्षण के दौरान दो साधन पुरूष एक साथ कक्षा में रहेंगे। एक प्रशिक्षण देंगे दूसरा उन्हें मदद करेंगे। पूर्व में बताया गया था कि बिपार्ड से प्रशिक्षित मास्टर प्रशिक्षक हमेशा कक्षा में रहेंगे। लेकिन इससे उनके कार्यालय कार्य प्रभावित हो सकता है। अतः विशेष परिस्थिति में जिला स्तर पर प्रशिक्षित मास्टर प्रशिक्षक से भी यह कार्य लिया जा सकता है।

अतः उपरोक्त बिन्दुओं के मदद्नेजर अग्रेत्तर कार्रवाई करते हुए सभी विभागों के 300 पदाधिकारियों/कर्मचारियों की सूची समूहवार एवं प्रशिक्षण की तिथि के साथ बिपार्ड को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। प्रशिक्षण से संबंधित दिशानिर्देश एवं अन्य जानकारी बिपार्ड के वेबसाईट www.bipard.bih.nic.in पर उपलब्ध है।

विश्वासभाजन

[signature] 27/12/12

(ई.एल.एस.एन. बाला प्रसाद)

ज्ञापांकः 1785 /पटना, दिनांकः 28.12.12

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, वित्त विभाग, पटना को सूचनार्थ।

[signature] 27/12/12

(ई.एल.एस.एन. बाला प्रसाद)